

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2026—फाल्गुन 21, शक 1947

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

क्र. एफ 5-2-2019-पन्द्रह-1-बी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-2010-पन्द्रह-1-बी., दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (1) अनुक्रमांक 4 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“9. पांढूणा.”

- (2) अनुक्रमांक 5 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“5. मैहर.

“6. मऊगंज.”

No. F 5-2-2019-XV-1-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F-5-2-2010-XV-1-B, dated 23rd October, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table,—

1. in serial number 4, in column (4), after serial number 8 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :—
"9. Pandhurna."
2. In serial number 5, in column (4), after serial number 4 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—
"5. Maihar.
6. Mauganj."

क्र. एफ 5-2-2019-पन्द्रह-1-सी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुक्रमांक (1) में, शब्द "उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द तथा चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
"अथवा यदि सहकारी सोसाइटी के उप-रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो, तो ऐसा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, जिसके पास उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का प्रभार हो,"
2. प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक (1) के सामने कॉलम (5) में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—
"42. पांडुणा.
43. मैहर.
44. मऊगंज."

No. F-5-2-2019-XV-1-C.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F-5-1-99-XV-1-C, dated 26th July, 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification.—

1. in serial number (1), after the words "Deputy Registrar of Cooperative Societies" the following words and symbols shall be inserted, namely :—
"or if the post of Deputy Registrar of Cooperative Societies is vacant, such Assistant Registrar Cooperative Societies who holds the charge of Duputy Registrar Cooperative Societies,"
2. In the first Schedule, in column (5) against serial number 1, after serial number 41 and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :—
"42. Pandhurna.
43. Maihar.
44. Mauganj."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज कुमार सिन्हा, उपसचिव.